अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 36/2011

रवीन्द्र कुमार मॉझी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
21.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 206, दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 08.12.2010 को सुबह 10:45 बजे पूर्वाह्न रविंद्र कुमार माँझी, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-73/2007,सा०-पिलखी, पंचायत-नवादा, प्रखंड-मशरक, की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय जाँच गठित जाँच दल (श्री साकेत बिहारी शुक्ला, कार्यपालक पदाधिकारी, मढौरा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, पानापुर) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई- (1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दुकान से अनुपस्थित थे। (2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। (3) विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जांच हेतु प्रस्तुत नही किया गया। (4) विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नही दिखाया गया। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विक्रेता	

के द्वारा अनुदानित सामग्री का वितरण संबंधित उपभोक्ताओं के बीच न करके इसे कालाबाजार में बेच दिया जाता है।

उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 3439,दिनांक 08.12.2010 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा प्रतिदिन समय से अपनी दूकान खोला एवं बन्द किया जाता है। जाँच की तिथि 08.12.2010 को विक्रेता एक दिन पहले संध्या 5:00 बजे अपने एक संबंधी के यहाँ शादी के पाटी में शामिल होने के लिए चले गये थे, जो दूसरे दिन लगभग 11:30 बजे पूर्वाह्न में वापस आये। अतः सयोगवश दूकान बंद पाई गई। विक्रेता की जेब में चाभी होने की वजह से परिवार के सदस्यों के द्वारा न तो दूकान खोलकर दिखाना संभव हो सका और न ही कोई कागजात ही प्रस्तुत करना संभव हो पाया। विक्रेता के द्वारा जान-बुझ कर अपनी अनियमितता को छिपाने के लिए दूकान को बंद नही रखा गया था। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से अपनी सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका पट्ट को अद्यतन किया जाता है ,लेकिन जांच की तिथि को विक्रेता के अनुपस्थित रहने की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका था। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय किया जाता है। जांच के कम में यदि कोई प्रतिकूल बिन्दु पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उसे विक्रेता को उपलब्ध कराकर उनसे पूरक कारण पृच्छा किया जाए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा

निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 206 दिनांक 13.01.2011) में कई कमियां नजर आ रही है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में यदि कुछ कमी थी या कोई अनियमितता पाई गई, तो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया। जांच पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं का बयान प्राप्त नही किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि विक्रेता के द्वारा वितरण कार्य में किसी प्रकार की कोई अनियमितता की जा रही थी। **अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।** साथ ही अपीलार्थी को निदेश है कि वे भविष्य में नियंत्री पदाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करके अवकाश का उपभोग करना सुनिश्चित करेगें। यदि वे स्वयं किसी कारण से दूकान पर उपस्थित नहीं हो तो किसी प्राधिकृत व्यक्ति को दूकान पर रखकर निर्धारित कार्यअवधि में दूकान का संचालन करवाना सुनिश्चित करेंगें। इस आशय का शपथ पत्र अपीलार्थी से प्राप्त करना अनुज्ञापन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 345 /न्या0, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/5/15